

14/3/2023

पत्रावली अधिवक्ता वादी व स्वयं वादी के  
ओवेन पर सिगद से तलब की गयी,  
उकरण में वादी द्वारा पत्रावली पर  
Not Pmt का अंकन किया है व  
वादी राजीनामा डे जाने से उकरण में  
अब कोई कार्यवाही नहीं चाहता है,  
अतः अधिवक्ता वादी व स्वयं वादी द्वारा  
पेश ओवेन के अनुसार उकरण में कोई  
कार्यवाही नहीं चाहने से उकरण को  
कार्यवाही नहीं चाहने से उकरण  
को इती स्तर पर खारिज किया जाता है  
पत्रावली फॉल्लु शुमार होकर डर्प  
नाम्बर से कम है।

14/3/2023  
उपखंड अधिकारी चंदन  
सहायक कलेक्टर करैडा

खिनाल  
Not Pmt करता  
है।

Muker  
14/3/23  
Muker  
14/3/23

